

कार्यालय कुलसचिव,  
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)


क्र./कु.स./48प्रमं. बैठक/अ.सू./2023/2336

दिनांक 17/07/2023

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय प्रमंडल की 48वीं बैठक दिनांक 02.07.2023 के पद क्रमांक 07 में लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक/Compt./Fin./2009/351 Date-29-01-2009, में आंशिक संशोधित करते हुए बाहर से आने जाने वाले विभिन्न विशेषज्ञों को रेल यात्रा का किराया उनके सेवानिवृत्ति के समय पात्रता एवं वर्तमान में पात्रता अनुसार, अधिकतम ए.सी-1 तक का भुगतान एवं अधिसूचना क्रमांक/कु.स./स्था./अ.सू./2014/956 दिनांक 11.07.2014, के बिन्दु क्रमांक 2 में आंशिक संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय में राज्य के बाहर से आने जाने वाले विशेषज्ञों को स्वयं/किराये के ए.सी. वाहन हेतु रुपये 16/- प्रति किलोमीटर का भुगतान किये जाने का प्रमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

पृष्ठा.क्र./कु.स./48प्रमं. बैठक/अ.सू./2023/2337

दिनांक 17/07/2023

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
2. निदेशक, शिक्षण/अनुसंधान/विस्तार सेवाये रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/खंडवा/सीहोर/मंदसौर
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
5. सह संचालक अनुसंधान, आंचलिक अनुसंधान केन्द्र .....
6. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
7. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र.....
9. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने बावत ।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
11. सुरक्षा नस्ती ।

  
कुलसचिव